204

माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी/पुनरीक्षण याचिका

PBR/निगरानी/गुना/भू.रा/2017/3898

रामजीलाल पुत्र श्री धन्नूलाल किरार, आयु-41 वर्ष, निवासी ग्राम बरोदिया, तहसील बमोरी जिला गुना म.प्र.

.... **निगरानीकर्ता/अनावेदक**

बनाम

1. म.प्र. राज्य शासन द्वारा कलेक्टर जिला गुना म.प्र.
2. श्रीमती प्रेमबाई, बेवा श्री गोपी किरार, आयु-68 वर्ष,
3. कन्हैया पुत्र श्री श्री गोपी किरार, आयु-55 वर्ष,
4. फूलचंद पुत्र श्री गोपी किरार, आयु-43 वर्ष,

निवासीगण ग्राम बरोदिया, तहसील बमोरी जिला गुना म.प्र.

.........**प्रतिनिगरानीकर्तागण**

आज 5 कुमार (3) 12/10/17 को ... द्वारा आज दि. 12/10/17 को प्रस्तुत ... 12-10-17 रीडर ऑफ कोर्ट

पेशी दिनांक 8-11-17

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता विरुद्ध विद्वान कलेक्टर जिला गुना द्वारा प्रकरण क्रमांक 02-स्व.निगरानी/2014-15(म0प्र0 शासन वि0 श्रीमती प्रेमबाई व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 19.07.17

महोदय,

निगरानीकर्ता/अनावेदक की ओर से सादर निगरानी/पुनरीक्षण याचिका निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

1. यह कि, प्रश्नाधीन आदेश में वर्णित तथ्यानुसार तहसीलदार परगना बमोरी द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन श्रीमान कलेक्टर जिला गुना के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि ग्राम खर्राखेडा की भूमि सर्वे क्र.4 रकवा 0.324 है. एवं सर्वे क्र.5 रकवा 1.484 है. कुल रकवा 1.808 है. भूमि श्रीमती प्रेमबाई वेवा गोपी किरार एवं कन्हैया, फूलचंद पुत्रगण गोपी किरार के पिता को पट्टे पर प्राप्त हुई थी जो जिल्द बंदोबस्त में शासकीय दर्ज है । उक्त भूमि उनके द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किये निगरानीकर्ता/अनावेदक रामजीलाल के हित में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.01.12 संपादित कर विक्रय कर दी जिससे उक्त पट्टे की शर्तों का उल्लंघन एवं म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 159(7-ख) का उल्लंघन होता है ।

A.K. Dubey 12/10/17

2. यहकि, कलेक्टर महोदय, द्वारा तहसीलदार बमोरी द्वारा प्रेषित उक्त प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों के आधार पर स्वमेव निगरानी में प्रकरण दर्ज किया गया, एवं उक्त विक्रय के पक्षकारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं उनके अनुपस्थित रहने एवं उत्तर प्रस्तुत न करने के कारण दिनांक 12.08.15 को उनका जबाब का अवसर समाप्त किया गया एवं दिनांक 14.09.16 को उनका सुनवाई/बहस का

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-पीबीआर/निगरानी/गुना/भू.रा./2017/3898 जिला- गुना

रामजीलाल विरूद्ध म.प्र.शासन अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२२-08-19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला- गुना के प्रकरण क्रमांक 02/स्वमेवनिगरानी/14-15 में पारित आदेश दिनांक 19.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त, जिला - ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2- पक्षकार दिनांक 10-10-19 को आयुक्त, जिला ग्वालियर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0 के0 जैन) सदस्य	